प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 24 मई, 2016**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत हीमोफीलिया से ग्रसित मरीजों के उपचार हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2016-17 में एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में हीमोफीलिया से ग्रसित मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलबध कराने हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 करोड़ के सापेक्ष रू0 5,00,00,000/- (रूपया पॉच करोड मात्र) अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

3- संस्थान का यह दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे एवं किसी एक वित्तीय वर्ष की लम्बित धनराशि अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जायेगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किसी अन्य मद में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता होगी।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि उपयोग केन्द्रीयकृत पद्धति के आधार पर एस0जी0पी0जी0आई0 द्वारा किया जायेगा एवं अन्य संस्थाओं को आवश्कतानुसार सामग्री/औषधि एवं रसायन का वितरण किया जायेगा।

6- संस्थान द्वारा वर्तमान में निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रकरण पत्र तथा लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

7- वित्त बजट-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा कोषागार से आहरण हेतु बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें।

9- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक **"2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–आयोजनागत-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-19-हीमोफीलिया रोग की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा-39-औषधि तथा रसायन"** के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस/2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्या- 69/2016/2199(1)/71-2-16-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं उ0प्र0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
6. वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
7. डा0 ए0के0 त्रिपाठी, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष क्लीनिकल हिमैटोलॉजी, के0जी0एम0यू0।
8. डा0 अनुपम वर्मा, एडिशनल प्रोफेसर, ट्रानसफ्यूजन मेडिसिन, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
9. संयुक्त निदेशक, एन0ए0सी0ओ0(यू0पी0एस0ए0सी0एस0) लखनऊ।
10. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1
11. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
12. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।